न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 09/2018

श्री मिश्री पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति रेगर, निवासी ग्राम भदूण, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

...अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ

.....रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :– श्री शुभकरण सिंह चौधरी सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक – 25.05.2018

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2074 में श्री मिश्री पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति रेगर, निवासी ग्राम भदूण, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर ने ग्राम भदूण के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 324 में से रकबा 00–02 बीघा पर पक्का मकान व बाडा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगढ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 32/2017 पंजीकृत कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 26.09.2017 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही मौके पर किए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सामग्री जब्त कर नीलामी करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 26.09.2017 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

वरवक्त बहस वकील अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा ऐतराज दर्ज नही करवाये जाने के कारण मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन किया गया एवं न्यायहित में अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का निश्चय किया गया। हमने विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत पक्ष रखने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त तथा साम्यता के अनुतोष के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश साइक्लोस्टाइल आदेश है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। वकील अपीलान्ट का आगे कथन है कि ग्राम भदूण की विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 324 गैर मुमकिन श्मशान व पाल की सम्पूर्ण भूमि पर गांव के अन्य व्यक्तियों के मकान बने हुए हैं अर्थात सम्पूर्ण भूमि पर आबादी बसी हुई है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि सिवायचक गै0मु0 श्मशान व गै0मु0 पाल अंकित होकर द्वेषभावना के तहत केवल मात्र अपीलान्ट के विरूद्व बेदखली की कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से ही गत 70 वर्षों से उक्त भूमि पर मकान व बाड़ा बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। इस कारण अपीलान्ट का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा होने के कारण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के आधार पर आवंटन/नियमन का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि पर राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि देकर ग्राम पंचायत की अनुशंषा पर शौचालय निर्माण भी किया गया है एवं इसी पते पर अपीलान्ट को राशन कार्ड, वोटर लिस्ट व आधार कार्ड जारी किया हुआ है एवं बिजली कनेक्शन लिया हुआ है। मौके पर किसी भी प्रकार की गैर मुमकिन पाल अथवा श्मशान निर्मित नहीं है। वादग्रस्त आराजी से गैर मुमकिन पाल की दूरी लगभग 500 मीटर है एवं श्मशान भी दूरी पर स्थित है, जबकि मौके की वास्तविक रिपोर्ट नहीं मंगवाई जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही आधार बनाकर विवादित निर्णय पारित किया गया है जो कि काबिल निरस्त योग्य है। अन्त में उनका कथन है कि अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से विवादित भूमि के एक हिस्से पर मकान निर्माण कर मय परिवार निवास करता चला आ रहा है, उनके परिवार के निवास हेतु अन्य कोई भूमि नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें बेदखल किया जाता है तो वे परिवार सहित बेघर हो जायेगे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कथनों के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के साथ ही गैर मुमकिन श्मशान/पाल होकर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जो आवंटन/नियमन योग्य भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्यों एवं राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक साईक्लोस्टाईल आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा अपील तहसीलदार रूपनगढ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे विवादग्रस्त भूमि की वर्तमान मौका जांच एवं रेकॉर्ड का परीक्षण कर अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर गुणावगुण

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

के आधार पर नियमों के अंतर्गत पूर्ण विवेचना पश्चात नये सिरे से विधिसम्मत Speaking Order पारित करें।

आदेश आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर